

भगवान चित्रगुप्त का किया अभिषेक बांटी कलम, लगाया गुलाल



भोपाल (काप्र)।

मनकामेश्वर महादेव मंदिर श्री चित्रगुप्त धाम नेवरी लालघाटी में श्री चित्रगुप्त पूजन,भाई दूज के अवसर पर आज चित्रगुप्त भगवान का अभिषेक, सभी देवों का पूजन, आरती, हवन उपरांत प्रसाद एवं कलम वितरित की गई।

इसके बाद फागोत्सव मनाया गया, जिसमें सभी कायस्थ बंधुओं ने एक-दूसरे को गुलाल लगाया एवं फूलों की होली भी खेली गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री

हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट की धीमी गति से निगम आयुक्त नाराज

एक निर्माण एजेंसी होगी टर्मिनेट व एक अन्य एजेंसी को जारी होगा नोटिस

भोपाल (काप्र)।

नगर निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायण ने प्रधानमंत्री आवास योजना (हाउसिंग फॉर ऑल) की विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया और बाग मुगालिया प्रोजेक्ट में कार्यों की अल्पन्त धीमी गति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित निर्माण एजेंसी के विरूद्ध टर्मिनेशन की कार्यवाही करने व पेनाल्टी भी लगाने के निर्देश दिए।

उन्होंने 12 नंबर प्रोजेक्ट के कार्य भी संतोषजनक न पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी करने और कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। श्री नारायण ने राहुल नगर प्रोजेक्ट के कार्य की गति तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि अपर आयुक्त (एच.एफए) ससाह में दो बार हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करें। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त सुश्री

निधि सिंह, अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायण ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (हाउसिंग फॉर ऑल) के राहुल नगर, 12 नंबर स्टॉप एवं बाग मुगालिया प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और इन परियोजनाओं में प्रचलित कार्यों,

विभिन्न श्रेणियों के आवासीय प्रकोष्ठों की संख्या एवं कार्य की वर्तमान स्थिति व शेष कार्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। श्री नारायण ने राहुल नगर में निर्माणाधीन 15 मंजिला आवासीय प्रकोष्ठों के कार्यों की गति को बढ़ाने तथा कार्यों को नियत समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश

दिए। श्री नारायण ने सीवेज के निष्पादन हेतु चारों ओर अंडर ग्राउंड पाईप डालकर सीवेज निष्पादन सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि अपर आयुक्त (एच.एफए) ससाह में दो बार सभी परियोजनाओं की समीक्षा करें। निगम आयुक्त ने 12 नंबर प्रोजेक्ट

बंदूक की नाल गले पर रखकर पैर से दबा दिया ट्रिगर, मौत

भोपाल(काप्र)।

पुराने शहर के गौतम नगर थाना इलाके में स्थित आरिफ नगर की गली नंबर-5 में रहने वाले एसएएफ के रिटायर्ड एसएसआई ने बीती रात बारह बोर की लायसेंसी बंदूक से अपने घर में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।

मृतक ने बंदूक की नाल गले पर रखकर पैर से ट्रिगर दबा दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भेजते हुए कारपो की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 62 वर्षीय वसीम उद्दीन मध्य प्रदेश पुलिस की सातवीं बटालियन में थे, और बीते साल जून माह में ही सेवानिवृत्त हुए थे। उनके परिवार में छोटा बेटा मोहसिन और पत्नी उनके साथ रहती है, वहीं उनका बड़ा बेटा आर्मी में है, और इन दिनों उसकी पोस्टिंग लद्दाख में है। परिवार वालो ने पुलिस को बताया कि बीती रात करीब साढ़े 10 बजे सभी लोग घर पर थे। रात करीब साढ़े 10 बजे मकान की उपरी मंजिल से अचानक गोली चलने की आवाज आने पर परिजन और आसपास के लोग दौड़कर सीढ़ियों से उपर जाने लगे तो पहली मंजिल पर जाने वाली

उपाय एप के जरिए होगा विद्युत शिकायत का समाधान

भोपाल (काप्र)। विद्युत संबंधी शिकायत के निराकरण के लिये उपाय एप के माध्यम से आसानी से समाधान किया जा रहा है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में उपाय एप डाउनलोड करना होगा। आंधी, तूफान एवं अन्य कारणों से होने वाले विद्युत व्यवधान के निराकरण के लिए भी उपभोक्ता मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय एप को डाउनलोड कर अपनी शिकायत का त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी ने बताया है कि बिजली उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर से इस एप को नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। उपभोक्ता मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय एप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने के साथ ही शिकायत की स्थिति भी जान सकते हैं।

महिला पर युवक ने किया एसिड अटैक का प्रयास

भोपाल (काप्र)।

कोलार पुलिस ने किराना दुकान चलाने वाली महिला की शिकायत पर युवक के खिलाफ जबरन गुलाल लगाकर छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर एसिड डालने का प्रयास करने का मामला दर्ज किया है।

पीड़िता पहले भी आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज करवा चुकी है। पुलिस के मुताबिक इलाके में रहने वाली 38 वर्षीय महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह किराना दुकान संचालित करती है। सोमवार सुबह करीब 11 बजे वह अपनी दुकान पर थी, उसी समय सुरेश नामक युवक आया और उसे जबरन गुलाल लगाने लगा। पीड़िता ने जब उसका महिला ने विरोध किया तो वह छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने जब लगातार बलपूर्वक उसका विरोध किया तब आरोपी विवाद करने लगा और उसने उसपर एसिड डालने का प्रयास किया। लेकिन वह एसिड डाल नहीं पाया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे जिन्हें आता देख सुरेश मौके से फरार हो गया। बाद में शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी सुरेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।

बुजुर्ग दादी को पीटने वाले कलयुगी पोते और बहू को पुलिस ने किया गिरफ्तार

भोपाल (काप्र)।

राजधानी के जहांगीराबाद थाना इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग महिला के साथ उसके पोते ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बेरहमी से मारपीट की।

आरोपी पोते शुभम ने जहाँ वृद्ध और शारीरिक रुप से कमजोर दादी का गला दबाकर उसे बुरी तरह जकड़ लिया वहीं उसकी पत्नी ने जकड़ी हुई बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करते हुए शारीरिक रुप से प्रताड़ित भी किया। आरोपी पोता और उसकी पत्नि आये दिन दादी से मारपीट कर इसी तरह प्रताड़ित करते थे। इस बात से आहत पड़ोस में रहने वाले परिवार ने आरोपियों की घिनोंनी करतूत को वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही आमजन में आक्रोश फैल गया वहीं वायरल वीडियो की भनक लगते ही पुलिस ने भी स्वत ही संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरु की। आरोपी पति-पत्नि मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अपने घर से फरार हो गए

थे। बुजुर्ग महिला भी मारपीट की घटना के बाद उज्जैन में रहने वाले अपने अन्य रिश्तेदार के घर चली गई थी। इधर पुलिस ने आरोपी दंपति के घर पर दबिश दी लेकिन वह हथ्थे नहीं चढ़ सके। पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी रही। आखिरकार थाना जहांगीराबाद और साइबर क्राइम पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 24 घंटे अंदर ही आरोपी दीपक सेन और उसकी पत्नि को दोनों आरोपी पति-पत्नि को भोपाल बस स्टैंड से उस समय गिरफ्तार कर लिय जब वह भोपाल

पत्नी की मौत से दुखी कपड़ा व्यापारी ने लगाई फांसी

शहर के बैरागढ़ थाना इलाके में रहने वाले एक कपड़ा कारोबारी ने दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक इलाके के गिदवानी पार्क के पास रहने वाला प्रकाश गंगवानी (38) कम्युनिटी हॉल के पास रेडीमेड दुकान संचालित करता था। मंगलवार सुबह भी वह अपनी दुकान पर गया था। दुकान खोलने की कुछ देर बाद ही उसने दुकान के अंदर जाकर पंखे पर फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच के बाद मर्ग कायम कर शव को पीएम के बाद परिवार वालो को सौंप दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि व्यापारी के दो बच्चे हैं, और वह अपनी मां के साथ रहता था। उसकी पत्नि ने करीब चार साल पहले तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। पत्नि की मौत के बाद से ही प्रकाश काफी दुखी रहने लगा था। आत्महत्या से कुछ दिन पहले से वो अपनी पत्नि का फोटो साथ लेकर घूमता था।

छठी मंजिल से गिरी दसवीं की छात्रा की मौत का रहस्य बरकरार

भोपाल(काप्र)। राजधानी के कटारा हिल्स थाना इलाके में स्थित नंदन विहार कालोनी में सोमवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे दसवी कक्षा की छात्रा सदिंघ हालत में छह मंजिला बिल्डिंग के नीचे गंभीर हालत में पड़ी मिली थी। उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। छात्रा ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की थी, या फिर वह हादसे का शिकार हुई है, यह रहस्य बना हुआ है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक लहारपुर में रहने वाली 15 वर्षीय मोहली गोस्वामी दसवीं कक्षा की छात्रा थी। उसके पिता एक निजी शिक्षण संस्थान में स्टोर कीपर का काम करते हैं। परिवार वालो ने पुलिस को बताया की मोहली अपने घर से सोमवार सुबह करीब 9 बजे किसी सहेली से मिलने जाने का कहकर अकेली घर से बाहर गई थी। परिवार वालो के वापस आने का समय पूछने पर उसने जल्द ही आने की बात कही थी। नंदन विहार कालोनी में घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे किसी के उचाई से गिरने की जोरदार आवाज सुनाई देने पर वह देखने के लिये बाहर निकलकर आये तो उन्हें छात्रा खुना में लथपथ पड़ी हुई नजर आई थी। उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, और शरीर से खून निकल रहा था। लोगो ने पुलिस को सूचना देते हुए छात्रा को इलाज के लिये एम्स पहुंचाया जहाँ उसकी मंगलवार को मौत हो गई। थाना पुलिस के कहना है, की छात्रा के पास से पचास रुपये और स्कूटी की चाबी मिली थी। छात्रा बयान देने की हालत में नहीं है। वह बिल्डिंग में किसके घर आई है, इसकी जानकारी साफ नहीं हो सकी है। छात्रा वहां कैसे पहुंची और उसके साथ क्या हुआ है, इसकी पुलिस जांच कर रही है।

जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित तीन बच्चों को मिला नया जीवन

भोपाल (काप्र)।

एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉ. अजय सिंह के मार्गदर्शन में पहली बार बाल रोगियों में दुर्लभ और जटिल जन्मजात हृदय की बीमारी को बिना ऑपरेशन किये नीतिनोल डिवाइस के द्वारा ठीक किया गया।

पहले मामले में एक साल की बच्ची जिसका वजन केवल 6 किलोग्राम था उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी, दूध पी नहीं पाती थी और वजन घटने के साथ छाती में खिंचाव की समस्या भी हो रही थी। 2 डी इकोकार्डियोग्राफी जाँच में पता चला कि उसे एक दुर्लभ जन्मजात हृदय दोष एओर्टोपल्मोनरी विंडो (0.1 से 0.6 प्रतिशत सीएचडी) है। एपी विंडो में हृदय की दो बड़ी वाहिकाओं के बीच एक छेद होता है। हृदय के इस छेद को यदि समय रहते बंद नहीं किया गया तो मरीज का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसमें मरीज की कमर से एक नस के द्वारा नितिनोल डिवाइस जैसे बटन को हृदय तक पहुंचा कर उस छिद्र को बंद किया गया। मामले की जटिलता को देखते हुए धमनी का प्रयोग नहीं किया गया। अब बच्ची पूर्णतया स्वस्थ है।

दूसरे मामले में 12 किलोग्राम वजन वाले 3 वर्षीय लड़के में 25 मिमी



आकार के बड़े ओस्टियम सेकंडम एट्रियल सेप्टल दोष का निदान किया गया था, जिसे सर्जिकल क्लोजर के लिए एक अन्य अस्पताल से एम्स भेजा गया था। किन्तु यहाँ पर कार्डियोलॉजी डॉक्टरों की टीम ने जाँच के पश्चात् बिना ऑपरेशन किये इसे ठीक करने का निर्णय लिया और इसे परक्यूटेनियस ट्रांसकैथेटर डिवाइस क्लोजर के लिए उपयुक्त पाया। इस मामले में बच्चे को 28 मिमी बटन जैसे नाइटिनोल डिवाइस के साथ सफलतापूर्वक प्रबंधित किया गया और बच्चे की सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

तीसरे मामले में, एक 12 वर्षीय

लड़के को सांस लेने में तकलीफ और पल्स ऑक्सीमीटर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति केवल 60-65 प्रतिशत ही पायी गयी। बबल कंटास्ट 2डी इकोकार्डियोग्राफी से मरीज की जाँच करने पर पता चला कि मरीज फेफड़े के एवी विकृति (धमनियों और नसों के बीच एक असामान्य संबंध) से पीड़ित था। इसलिए विकृति को परक्यूटेनियस रूप से बंद करने की योजना बनाने के लिए एक प्रीऑपरेटिव सीटी एंजियोग्राफी की गई और इसे वैस्कुलर प्लाग डिवाइस लगाकर बिना चीर-फाड़ के दिल का इलाज किया गया। प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़कर

95 प्रतिशत तक सामान्य हो गई।

ये सभी जटिल परक्यूटेनियस बाल चिकित्सा के केस एम्स की कार्डियोलॉजी टीम डॉ. भूषण शाह के नेतृत्व में डॉ. अंबर कुमार, डॉ. किसलय श्रीवास्तव और डॉ. मथुर जैन के साथ कार्डियक एनेस्थीसिया टीम डॉ. वैशाली वेंडेस्कर और डॉ. एस आर ए एन भूषणम पडाला के सहयोग से सीटीवीएस टीम डॉ. योगेश निवारिया और डॉ. एम किसान द्वारा प्रबंधित किए गए। यह पहली बार है कि एम्स बाल रोगियों में इस तरह के जटिल मामलों को सफलतापूर्वक ठीक कर रहा है।

सोलह हजार मतदान कर्मी प्राप्त करेंगे प्रथम प्रशिक्षण

भोपाल (काप्र)।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल ऋतुराज सिंह ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत मतदान दल का प्रथम प्रशिक्षण 1 से 6 अप्रैल तक भोपाल शहर के 7 प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक दिया जाएगा।

प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लगभग 80 मास्टर ट्रेनर सैद्धांतिक एवं ईव्हीएम नियुक्त किये गये हैं। श्री सिंह ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन- 2024 सुचारु रूप सम्पन्न कराये जाने के लिए प्रथम प्रशिक्षण में मतदान दल के सभी सदस्य

पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्र.-1, 2, 3 को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल, मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल, भोपाल, बी.एस.एस. कॉलेज भोपाल, रवीन्द्र भवन पुराना सभागृह भोपाल, संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) गोविंदपुरा भोपाल, सभागार राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, वैशाली नगर-भोपाल एवं समन्वय भवन (अपेक्स बैंक), टीटी नगर भोपाल केंद्रों में आयोजित हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण प्रातः 10:30 से 11:00 बजे तक मतदान दलों की

उपस्थिति, प्रातः 11:00 बजे से 2:00 बजे तक सैद्धांतिक प्रशिक्षण तथा दोपहर 2:00 बजे से शाम 4 बजे तक ईव्हीएम हैण्डसऑन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

आग्नेय एवं प्राणघातक हथियारों पर प्रतिबंध रहेगा

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निर्वाचन प्रक्रिया सुव्यावरिस्थ और शांति पूर्वक संचालित हो इसके लिए गत दिवस दण्ड प्रक्रिया के तहत आदेश जारी किये गये है। जारी आदेशानुसार लोकसभा चुनाव-2024 स्वतंत्र, स्वच्छ, निर्विध्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित

कराने को दृषित जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कब्जा करने, मतदाताओं एवं निर्वाचन में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को डराने धमकाने और उन पर अनुचित प्रभाव न डालने के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ होने के समय से आग्नेय एवं प्राणघातक हथियारों पर तत्काल रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। जिला दंडाधिकारी श्री सिंह द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत जिले के सभी शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आदेश देता हूं कि 16 मार्च से 06 जून 2024 तक की अवधि में सभी आग्नेयशस्त्र

लायसेंसधारियों से नजदीकी थानों में जमा कराये जाएं। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के विभागों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शासन के उपक्रमों में अधिकारी, कर्मचारी, शासकीय, अद्वैशासकीय, अशासकीय बैंकों के गार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा चुनाव-2024 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह आदेश जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावशाली होगा। इसके पश्चात शस्त्र लायसेंसधारियों को उनके जमा शस्त्र तुरन्त वापस किये जायेंगे।

